

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाप जिला जोधपुर  
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थी  
श्री मोमताराम  
निवासी माड़पुरा  
बाप, जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी  
तहसीलदार बाप

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र संख्या :- 86/2018

- वस्तु :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से उपस्थित
  2. तहसीलदार बाप अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांक:- 26.12.19

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल खसरा नम्बर 134 कुल 169.06 बीघा सरहद मौजा मोड़किया पटवार क्षेत्र टेपु में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं खातेदारों के नाम दर्ज थी। सभी खातेदारों ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा कर लिया था उक्त बंटवाड़ा के आधार पर नामांतरकरण संख्या 159 मौजा मोड़किया भरा गया और उक्त बंटवाड़ा प्रार्थी के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा अलग से खाता राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में किया गया। खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा की नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय हल्का ने प्रार्थी के रकबा से कम तरमीम कर दी और प्रार्थी के चिपता खसरा नम्बर 134/2 24.01 बीघा की तरमीम रकबा से अधिक कर दी जो गलत है जिसका प्रार्थी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया और तहसीलदार अपने जवाब में बताया कि ग्राम मोड़किया पटवार क्षेत्र टेपु के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा भूमि दर्ज है जिसकी तरमीम नक्शा ट्रेस में हो रखी है लेकिन तरमीम प्रार्थी के रकबा से अधिक कर दी है और प्रार्थी के चिपते खसरा नम्बर 134/2 रकबा 24.05 बीघा भूमि की तरमीम कर दी है जो दुरुस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप ने अपनी बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि मूल खसरा नम्बर 134 कुल रकबा 169.06 बीघा सरहद मौजा मोड़किया पटवार क्षेत्र टेपु में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थे। सभी खातेदारों ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा कर लिया था उक्त बंटवाड़ा के आधार पर नामांतरकरण संख्या 159 मौजा मोड़किया भरा गया और उक्त बंटवाड़ा अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा अलग से खाता राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में कायम किया गया। खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा की नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय पटवारी हल्का ने प्रार्थी के रकबा से कम तरमीम कर दी और प्रार्थी के चिपता खसरा नम्बर 134/2 रकबा 24.01 बीघा की तरमीम रकबा से अधिक कर दी जो गलत है जिसका प्रार्थी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मोड़किया पटवार



के खसरा नंबर 134/1 रकबा 32.08 बीघा की वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के रकबा से  
की गई तरमीम को दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।


वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलवध दस्तावेजात  
की नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम मोड़किया पटवार  
खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा प्रार्थी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और खसरा  
134/1 व 134/2 के नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि राजस्व  
रिपोर्टों द्वारा नक्शा में तरमीम करते समय प्रार्थी के खसरा नम्बर 134/1 की तरमीम रकबा से  
कर दी है तथा खसरा नम्बर 134/2 के नक्शा में तरमीम रकबा से ज्यादा कर दी है जिसको  
किया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र का सक्षम साक्ष्यों से साबित किया है  
न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का  
पत्र स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम मोड़किया पटवार क्षेत्र टेपु खसरा नम्बर  
1 रकबा 32.08 बीघा भूमि के राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में रकबा से कम की गई तरमीम एवं  
नम्बर 134/2 रकबा 24.01 बीघा के राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में रकबा से अधिक गई  
को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 32.08 बीघा एवं खसरा नम्बर  
2 रकबा 24.01 बीघा के रकबा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त करने आदेश दिये जाते  
हिसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे, पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो,  
त दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(महावीर सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी - बाप  
बाप (जोधपुर)